न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 240/2022

प्रार्थीगण :–

1. अणछाराम पुत्र हाथीराम
2. नेनुदेवी पत्नी हाथीराम
3. वोताराम पुत्र हाथीराम
4. सोमाराम पुत्र हाथीरा
5. हनुमानराम पुत्र हाथीराम सभी जातियान कलबी निवासी बुडीवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जोगाराम पुत्र प्रभूराम
2. धनी बेवा सरदाराराम
3. मांगाराम (मांगीया) पुत्र सयरदाराराम,
4. वालाराम (वालीया) पुत्र सरदाराराम सभी जातियान राईका,
5. जगनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति कलबी, निवासी बुडीवाडा
6. अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग पचपदरा रोड बालोतरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा,जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री करणसिंह सोलकी, प्रार्थीगण अधिवक्ता,
2. विप्रार्थीगण :– एक पक्षीय

'आदेश

दिनांक :– 21.11.2022

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की खेत खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के [illegible] प्रार्थीगण की [illegible] को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और आये दिन [illegible] होकर पक्षकारन मे तनजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बुडीवाडा पटवार जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर बीघा भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की खेत खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न द[illegible] अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवे[illegible] कि ग्राम ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की खेत खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है । यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय मे उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया । ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1320/447 क्षेत्रफल 0.0567 हेक्टेयर बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे । आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्रापत कर सकते है

पालना रिपोर्ट होने पर शामिल मिसल हो ।

(हस्ताक्षर)

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 21.11.2022 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा